रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11102025-266865
CG-DL-E-11102025-266865

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4506]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 10, 2025/आश्विन 18, 1947
No. 4506]	NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 10, 2025/ASVINA 18, 1947

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4635(अ).— केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा अपेक्षित है कि लौह अयस्क खनन में लगे हुए हुई उद्योग की सेवाएं जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है की पहली अनुसूची के मद 16 के अंतर्गत आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगिता सेवाएं हैं;

और, केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1699(अ), तारीख 11 अप्रैल, 2025 द्वारा तारीख 14 अप्रैल, 2025 से छह मास की अवधि के लिए उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगिता सेवा घोषित किया है;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में उक्त उद्योग के लिए लोक उपयोगिता सेवा प्रास्थिति की छह मास की और अवधि के लिए विस्तारित किया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उप खंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लौह अयस्क खनन में लगे हुए उद्योग की सेवाओं को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तारीख 14 अक्तूबर, 2025 से छह मास की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस.-11017/06/2024-आईआर (पीएल)]

अजय शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2025

S.O. 4635(E).— Whereas the Central Government is satisfied that public interest so requires that the services of the industry engaged in the Iron Ore Mining, which are covered under item 16 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) hereinafter referred to as the said Act, to be a public utility service for the purposes of the said Act;

And whereas, the Central Government has declared the said industry to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 14th April, 2025, vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, number S.O. 1699(E), dated the 11th April, 2025;

And whereas, the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a further period of six months.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services of the industry engaged in the Iron Ore Mining to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 14th October, 2025.

[F. No. S-11017/06/2024-IR(PL)]

AJOY SHARMA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA